हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 19 नवंबर 2024, समय 1305 (5 मिनट)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति अपडेट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर 213 करोड़ 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने व्हाट्सऐप को अगले पांच साल तक के लिए मेटा के स्वामित्व वाले अन्य एप्लिकेशन के साथ उपयोगकर्ता का डेटा साझा न करने के निर्देश भी दिए हैं।आयोग ने कहा है कि व्हाट्सऐप सेवा के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन से प्रयोगकर्ता का डेटा साझा करने को भारत में व्हाट्सऐप उपयोग करने के लिए शर्त के रूप में नहीं थोपा जाएगा।आयोग ने डेटा साझा करने संबंधी प्रावधानों की दुनिया भर में आलोचना के बाद वर्ष 2021 में इसकी नीति की जांच शुरु की थी। इस नीति में प्रयोगकर्ता के व्हाट्सऐप डेटा को फेसबुक और उसकी सहायक कंपनियों के साथ साझा करने का प्रावधान किया गया था।

****

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सात विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 तथा हरियाणा नगर निगम(संशोधन) विधेयक,2024 के अलावा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024, हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक, 2024 तथा हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 शामिल हैं।हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 में संशोधन हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग (ख) के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है।हरियाणा नगर पालिका

अधिनियम, 1973 में संशोधन द्वारा प्रत्येक नगर परिषद व समिति में पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस नगर परिषद या समिति की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या के अनुपात की आधी होगी।सत्र के दौरान पांच विधेयक पेश भी किए गए। इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता),विधेयक, 2024 तथा हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 शामिल हैं।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा विधानसभा में सदन को आश्वस्त किया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जल्द करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए वोट बनवाने की प्रक्रिया जारी है।मुख्यमंत्री आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे।श्री नायब सिंह सैनी ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक अधिनियम के तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के गठन का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष के लिए पहले यह प्रावधान था कि आयोग का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होगा। यदि जिला न्यायाधीश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाता, तो तीन सदस्यों में से एक उनकी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष होगा। आज इस विधेयक में हमने यह प्रावधान किया है कि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायधीश या जिला न्यायधीश हो सकता है और 65 साल आयु की ऊपरी सीमा को भी हटाया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए रोक नहीं लगाई है। चुनावों के लिए एक अलग समिति बनी हुई है, जो संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को देख रही है।

****

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल विधानसभा में डी ए पी से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का ज़वाब देते हुए सदन को बताया कि केंद्र सरकार ने 2 लाख 60 हजार टन डी ए पी आवंटित की है। उन्होंने बताया 16 नवंबर तक केंद्र सरकार से एक लाख 52 हजार टन डी ए पी प्राप्त हुई है। जिसमें से 15 नवंबर तक एक लाख 86 हजार टन की खपत हुई है। उन्होंने कहा कि जिलों में अभी भी 21,000 टन डी ए पी उपलब्ध है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में 49,000 टन एन पी के खादों की भी खपत हुई है और 22,000 टन एन पी के अभी भी उपलब्ध है।इसी तरह 25,000 टन सिंगल सुपर फास्फेट खादों की खपत हुई है और अभी भी 69,000 टन सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है।श्री राणा ने बताया राज्य में 6,82,000 लाख टन यूरिया खाद उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 15 नवंबर तक 2,78,000 टन की खपत हो गई है और 4 लाख 05,000 टन खाद अभी भी उपलब्ध है।उन्होंने गांव भीखेवाला में रामभगत की मृत्यु को लेकर कहा कि 7 नवंबर को उकलाना थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार हिसार के गाँव कापड़ो के सतबीर सिंह ने बताया है कि रामभगत मानसिक रूप से परेशान था ऐसे में रामभगत की आत्महत्या का कारण डी ए पी की अनुपलब्धता नहीं है।उन्होंने कहा कि गांव भीखेवाला दनौदा पैक्स के अंतर्गत आता है। 6 नवंबर को जब राम भगत ने आत्महत्या की, उस दिन दनौदा पैक्स में 1224 बैग DAP उपलब्ध था और उस दिन 600 बैग से अधिक की बिक्री हुई थी।